संख्या-7/2016/ 653 सी0डी0/46-3-16-1000(69)/2014

प्रेषक,

सुबोध कुमार श्रीवास्तव,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

गन्ना एवं चीनी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

चीनी उद्योग अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 29 मार्च, 2016

विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिये अनुदान संख्या-24 (आयोजनेत्तर) के अन्तर्गत शक्कर विशेष निधि हेतु प्राविधानित धनराशि एवं तद्क्रम में निर्गत वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष विभिन्न कारणों से हुई बचत रु0 1,82,18,650/-(रुपया एक करोड़ बयासी लाख अट्ठारह हजार छः सौ पचास मात्र) के सम्बन्ध में विभिन्न मदों के लिये व्यावर्तन की अनुमति सहित, व्यय किये जाने की वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त के सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष 2015-16 में शक्कर विशेष निधि में प्राविधानित धनराशि के सम्बन्ध में दिनांक 03.06.2015 को सम्पन्न हुयी शक्कर विशेष निधि समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में इस निधि से वित्त पोषित संस्थाओं हेतु वित्तीय स्वीकृति विषयक पूर्व निर्गत शासनादेशों क्रमशः संख्या-30/2015/1481-सी0डी0/46-3-15-1000(69)/2014 दिनांक 23.06.2015, संख्या-31/2015/1513-सी0डी0/46-3-15-1000(69)/2014 दिनांक 23.06.2015, संख्या-32/2015/1514-सी0डी0/46-3-15-1000(69)/2014 दिनांक 23.06.2015, संख्या-33/2015/1515-सी0डी0/46-3-15-1000(69)/2014 दिनांक 23.06.2015,संख्या-34/2015/1516-सी0डी0/46-3-15-1000(69)/2014 दिनांक 23.06.2015 एवं संख्या-35/2015/1517-सी0डी0/46-3-15-1000(69)/2014 दिनांक 23.06.2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-24(आयोजनेत्तर) के अन्तर्गत शक्कर विशेष निधि के अधीन सृजित उप निधियों के विभिन्न लेखा शीर्षकों में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष शक्कर विशेष निधि से वित्त पोषित संस्थाओं को विभिन्न मदों हेतु, उपर्युक्त शासनादेशों के द्वारा स्वीकृत/अवमुक्त की गयी धनराशि एवं उक्त अवमुक्त की गयी धनराशि के सापेक्ष, इस शासनादेश के संलग्नक-1 में अंकित विवरण के अनुसार, हो रही बचत की कुल धनराशि रु0 1,82,18,650/- (रुपया एक करोड़ बयासी लाख अट्ठारह हजार छः सौ पचास) को, शक्कर विशेष निधि समिति की बैठक दिनांक 26 मार्च,2016 में लिये गये निर्णयानुसार, इस शासनादेश के संलग्नक-2 में दिये गये विवरण

----------2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

के अनुसार, शक्कर विशेष निधि से पोषित संस्थाओं को विभिन्न मदों के लिये, व्यावर्तन की अनुमति सहित, व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- उपर्युक्त प्रस्तर-2 के अनुसार, इस शासनादेश के संलग्नक-2 में उल्लिखित धनराशि के, व्यावर्तन की अनुमति सहित व्यय किये जाने हेतु प्रदान की जा रही स्वीकृति के सम्बन्ध में, इस शासनादेश के संलग्नक-1 के कालम-4 में यथासन्दर्भित पूर्व में निर्गत वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेशों में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

4- उक्त व्यावर्तित की जा रही धनराशि का व्यय यदि किन्हीं कारणों से नहीं हो पाता है, तो उसे दिनांक 31.03.2016 से पूर्व शासन/वित्त विभाग को समर्पित कर दिया जायेगा।

5- उपर्युक्त धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30.03.2015 तथा वित्त विभाग द्वारा मितव्ययिता से सम्बन्धित समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6- उपर्युक्त प्रस्तर-2 में, व्यावर्तन की अनुमति सहित, स्वीकृत की जा रही धनराशि अनुदान संख्या-24 (आयोजनेत्तर) के अन्तर्गत, इस शासनादेश के संलग्नक-2 के कालम-2 में यथाउल्लिखित लेखाशीर्षकों के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(सुबोध कुमार श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

संख्या-7/2016/ 653(1)सी0डी0/46-3-16-4(श0वि0नि0)/2012-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. संयोजक, उ0प्र0 शक्कर विशेष निधि समिति।
4. वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ।
5. निदेशक, उ0प्र0 श्री लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान, लखनऊ।
6. निदेशक, उ0प्र0 गन्ना शोध परिषद, शाहजहांपुर।
7. वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-6/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(सुबोध कुमार श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या- 7/2016/ 653 सी0डी0/46-3-16-1000(69)/2014, दिनांक 29 मार्च, 2016 का

संलग्नक-1

क्र0 सं0	लेखाशीर्षक	संस्था का नाम	शासनादेश संख्या एवं दिनांक	स्वीकृत धनराशि (रूपयें में)	स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष बचत की धनराशि (रूपयें में)
1	2	3	4	5	6
1	**अ-लेखा शीर्षक-2401** 2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनेत्तर -108- वाणिज्यिक फसलें-03- गन्ना- 0301- उ0प्र0गन्ना अनुसधान एवं विकास निधि के अनुरक्षण तथा प्रवर्तन के लिये उ0प्र0शक्कर विशेष निधि समिति को भुगतान-42- अन्य व्यय	उ0प्र0गन्ना शोध परिषद,शाहजहांपुर	30/2015/1481- सी0डी0 /46-3-15-1000(69) /2014, दिनांक 23.06.2015	1,86,58,000	1993755
2	-तदैव-	उ0प्र0गन्ना किसान संस्थान,लखनऊ	31/2015/1513-सी0डी0 /46-3-15-1000(69) /2014, दिनांक 23.06.2015	8,78,36,000	48,88,419
3	-तदैव-	शक्कर विशेष निधि अधिष्ठान	32/2015/1514- सी0डी0 /46-3-15-1000(69) /2014, दिनांक 23.06.2015	97,20,000	15,72,422
4	-तदैव-	प्रचार निधि अधिष्ठान	32/2015/1514- सी0डी0 /46-3-15-1000(69) /2014, दिनांक 23.06.2015	41,35,000	7,63,294
5	-तदैव-	प्रचार संगठन	33/2015/1515- सी0डी0 /46-3-15-1000(69) /2014, दिनांक 23.06.2015	22,55,000	2,11,580
6	-तदैव-	गन्ना एवं चीनी आयुक्त कार्यालय के संचालन हेतु	35/2015/1517- सी0डी0 /46-3-15-1000(69) /2014, दिनांक 23.06.2015	71,00,000	10,32,760
7	-तदैव-	सांख्यिकीय परियोजना में कार्यरत रहे कर्मचारियों के एरियर भुगतान हेतु	34/2015/1516- सी0डी0 /46-3-15-1000(69) /2014, दिनांक 23.06.2015	69,96,000	43,66,125
	योग-				1,48,28,355

क्रमशः-2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र0 सं0	लेखाशीर्षक	संस्था का नाम	शासनादेश संख्या एवं दिनांक	स्वीकृत धनराशि (रूपयें में)	स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष बचत की धनराशि (रूपयें में)
1	2	3	4	5	6
1	**ब- लेखा शीर्षक-2852** 2852-उद्योग-08-उपभोक्ता उद्योग- 201-चीनी-03-उ0प्र0शक्कर फैक्ट्रियाँ पुनः स्थापना आधुनिकीकरण तथा स्थापना निधि के अनुरक्षण तथा प्रवर्तन के लिये उ0प्र0शक्कर विशेष निधि समिति को भुगतान-42- अन्य व्यय	उ0प्र0गन्ना शोध परिषद, शाहजहांपुर	30/2015/1481--सी0डी0 /46-3-15-1000(69)/ 2014, दिनांक 23.06.2015	9,12,00,000	8,93,488
2	2852-उद्योग-08-उपभोक्ता उद्योग- 201-चीनी-04-उ0प्र0 के अभाव ग्रस्त शक्कर फैक्ट्रियों के गन्ना के मूल्य का भुगतान करने हेतु ऋण सहायता निधि के अनुरक्षण तथा प्रवर्तन के लिये उ0प्र0शक्कर विशेष निधि समिति को भुगतान-42- अन्य व्यय	उ0प्र0गन्ना शोध परिषद, शाहजहांपुर	30/2015/1481--सी0डी0 /46-3-15-1000(69)/ 2014, दिनांक 23.06.2015	11,40,00,000	24,52,821
3	2852-उद्योग-08-उपभोक्ता उद्योग- 201-चीनी-05-उ0प्र0 कल्याण निधि के अनुरक्षण तथा प्रवर्तन के लिये उ0प्र0शक्कर विशेष निधि समिति को भुगतान-42- अन्य व्यय	उ0प्र0गन्ना शोध परिषद, शाहजहांपुर	30/2015/1481--सी0डी0 /46-3-15-1000(69)/ 2014, दिनांक 23.06.2015	3,80,00,000	43,986
	योग-				33,90,295
	महायोग-(अ+ब)				1,82,18,650

(रुपया एक करोड़ बयासी लाख अट्ठारह हजार छः सौ पचास मात्र)

(सुबोध कुमार श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या- 7/2016/ 653 सी0डी0/46-3-16-1000(69)/2014, दिनांक 29 मार्च, 2016 का

संलग्नक-2

क्र0 सं0	लेखाशीर्षक	संस्था का नाम	मद /कार्य, जिस हेतु व्यावर्तन की अनुमति सहित, वित्तीय स्वीकृति दी जा रही है।	व्यावर्तन के अनुमति सहित स्वीकृत धनराशि (रूपये में)
1	2	3	4	5
1	**अ-लेखाशीर्षक-2401** 2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनेत्तर -108- वाणिज्यिक फसलें- 03-गन्ना-0301- उ0प्र0गन्ना अनुसधान एवं विकास निधि के अनुरक्षण तथा प्रवर्तन के लिये उ0प्र0 शक्कर विशेष निधि समिति को भुगतान-42- अन्य व्यय	उ0प्र0गन्ना शोध परिषद, शाहजहांपुर	पेंशन भुगतान हेतु कृषि मेला/प्रदर्शनी हेतु	50,83,000 3,00,000
2	-तदैव-	उ0प्र0गन्ना किसान संस्थान, लखनऊ	बकाया सम्परीक्षा शुल्क के भुगतान हेतु	48,88,419
3	-तदैव-	शक्कर विशेष निधि अधिष्ठान	सेवानिवृत्त कर्मचारी के अवकाश नकदीकरण हेतु	4,81,000
4	-तदैव-	गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उ0प्र0	स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग को बकाया सम्परीक्षा शुल्क के भुगतान हेतु	40,75,936
	योग			1,48,28,355
1	**ब-लेखाशीर्षक-2852** 2852-उद्योग-08-उपभोक्ता उद्योग- 201-चीनी -03-उ0प्र0 शक्कर फैक्ट्रियां पुनः स्थापना आधुनिकीकरण तथा स्थापना निधि के अनुरक्षण तथा प्रवर्तन के लिये उ0प्र0 शक्कर विशेष निधि समिति को भुगतान-42- अन्य व्यय	गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उ0प्र0	स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग को बकाया सम्परीक्षा शुल्क के भुगतान हेतु	8,93,488
2	2852-उद्योग-08-उपभोक्ता उद्योग- 201-चीनी-04-उ0प्र0 के अभाव ग्रस्त शक्कर फैक्ट्रियों के गन्ना के मूल्य का भुगतान करने हेतु ऋण सहायता निधि के अनुरक्षण तथा प्रवर्तन के लिये उ0प्र0शक्कर विशेष निधि समिति को भुगतान-42- अन्य व्यय	गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उ0प्र0	स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग को बकाया सम्परीक्षा शुल्क के भुगतान हेतु	24,52,821
3	2852-उद्योग-08-उपभोक्ता उद्योग-201- चीनी -05-उ0प्र0 कल्याण निधि के अनुरक्षण तथा प्रवर्तन के लिये उ0प्र0 शक्कर विशेष निधि समिति को भुगतान-42- अन्य व्यय	गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उ0प्र0	स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग को बकाया सम्परीक्षा शुल्क के भुगतान हेतु	43,986
	योग			33,90,295
	महायोग (अ+ब)			1,82,18,650

(रूपया एक करोड़ बयासी लाख अट्ठारह हजार छः सौ पचास मात्र)

(सुबोध कुमार श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in